

झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)
Phone: 0651-2401917 E-mail: dirjharkhandculture@gmail.com

पत्रांक : 102

दिनांक 05.06.2023

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना अंतर्गत आवेदन हेतु सूचना :-

राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना के संबंध में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, सरकार के निर्गत संकल्प संख्या -259 दिनांक 28.08.2017 को संकल्प संख्या 05 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा संशोधन किया गया है। उक्त संकल्पों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले राज्य के कलाकार आवेदकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मासिक निवृत्तिका (रु० 4,000.00 चार हजार रुपये प्रति कलाकार प्रति माह) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निम्न प्रपत्र में आवेदक संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय में दिनांक 03.07.2023 तक आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना अंतर्गत आवेदन :-

जिला : अनुमण्डल :

1. नाम :
2. माता का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. उम्र (01.04.2023 को) :
5. ग्राम एवं पूरा पता :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. शारीरिक स्थिति :
- (a) स्वस्थ/अस्वस्थ :
- (b) अस्वस्थता का प्रकार :
- (नोट:- आवश्यक दिक्रिप्सा प्रमाण पत्र संलग्न)
8. कला की विवरणी:
- (a) कला का प्रकार :
- (b) कला के क्षेत्र में उपलब्धि :
- (c) कार्यक्रम जिसमें भाग लिया हो (प्रमाण के साथ) :
- (d) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान आदि (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे) :
9. वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र आधारित) :
10. बैंक खाता विवरणी (प्रमाण सहित) बैंक खाता सं० : बैंक का नाम :
- शाखा का नाम : IFSC कोड :
11. आधार सं० : (प्रमाण सहित)

स्वहस्ताक्षरित
फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर
स्थान:
तिथि:

जिला स्तरीय जांच एवं समीक्षा समिति की अनुशंसा - समिति के सदस्यगण	स्वीकृति हेतु योग्य/अयोग्य अध्यक्ष
---	---------------------------------------

ह०/-

झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)
Phone: 0651-2401917 E-mail: dirjharkhandculture@gmail.com

पत्रांक : 102 /

रांची, दिनांक 05/06/2023

"पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना अंतर्गत आवेदन हेतु सूचना :-

राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना के संबंध में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, सरकार के निर्गत संकल्प संख्या -259 दिनांक 28.08.2017 को संकल्प संख्या 05 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा संशोधन किया गया है। उक्त संकल्पों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले राज्य के कलाकार आवेदकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मासिक निवृत्तिका (रु० 4,000.00 चार हजार रुपये प्रति कलाकार प्रति माह) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निम्न प्रपत्र में आवेदक संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय में दिनांक 03.07.2023 तक आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना अंतर्गत आवेदन :-

जिला :

अनुमण्डल :

1. नाम :
2. माता का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. उम्र (01.04.2023 को) :
5. ग्राम एवं पूरा पता :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. शारीरिक स्थिति :
- (c) स्वस्थ/अस्वस्थ :
- (d) अस्वस्थता का प्रकार :
- (नोट:- आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न)
8. कला की विवरणी:
 - (e) कला का प्रकार :
 - (f) कला के क्षेत्र में उपलब्धि :
 - (g) कार्यक्रम जिसमें भाग लिया हो (प्रमाण के साथ) :
 - (h) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान आदि (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे) :
9. वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र आधारित)
10. बैंक खाता विवरणी (प्रमाण सहित) बैंक खाता सं० : बैंक का नाम :
- शाखा का नाम : IFSC कोड :
11. आधार सं० : (प्रमाण सहित)

हस्ताक्षरित
फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:

तिथि:

जिला स्तरीय जाँच एवं समीक्षा समिति की अनुशंसा -	स्वीकृति हेतु योग्य/अयोग्य
समिति के सदस्यगण	अध्यक्ष

ज्ञापांक : 102 /

रांची, दिनांक 05/06/2023

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
झारखण्ड, रांची